राज कुमार मौर्य
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
श्री गदाधर आचार्य जनता कालेज,
रामबाग, बिहटा, पटना

B.A. II Year (H') Paper-III, (Political Sci.)

विषय - भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Indian - Constitution)

" हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको को:
न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा,
उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए,
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं "

Scanned with CamScanner

इस प्रस्तावना के चार मुख्य तत्व हैं

1⇒ यह इस बात की ओर संकेत करता है कि हम भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण किया तथा उसे स्वयं स्वीकार किया।

2⇒ इस प्रस्तावना के द्वारा स्पष्ट है कि भारत एक प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है।

3⇒ यह प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतन्त्रता, समानता की बात करता है और राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए भाईचारे या बन्धुता का उल्लेख करता है।

4⇒ इसमें संविधान को अपनाए जाने वाली तारीख का उल्लेख है।

Scanned with CamScanner

ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार, 'भारतीय संविधान मूलतः सामाजिक क्रान्ति का दस्तावेज है।" प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित आदर्श इसी ओर संकेत करते हैं-

संप्रभुता :- भारत एक सम्प्रभु राष्ट्र है अर्थात भारत किसी भी विदेशी और आन्तरिक शक्ति से पूर्णतः मुक्त है।

समाजवादी:- यह शब्द संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) के द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। इसका लक्ष्य गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है।

पंथनिरपेक्ष:- भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। मूल अधिकार

Scanned with CamScanner

धर्म की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करता है।

लोकतान्त्रिक :-

भारत एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र है, जहाँ सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता के हाथ में है। लोकतन्त्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतन्त्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है।

गणराज्य :-

भारत में राज्य / शासन का प्रमुख अनुवांशिक न होकर जनता के द्वारा (अप्रत्यक्ष) रूप से चुना जाता है।

न्याय :-

न्याय शब्द को प्रस्तावना में तीन अलग-2 रूपों में सम्मिलित किया गया है - सामाजिक - आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जिन्हे मूल अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

Scanned with CamScanner

स्वतन्त्रता :-

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता से है।

समानता :-

यह समाज से विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात करता है। तथा लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीति समानता प्रदान करने का उल्लेख करता है।

बंधुता :-

राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच बन्धुता की बात कही गयी है।

सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बेरुबारी केस, 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया किन्तु 1973 में केशवानन्द भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया। कई विद्वानों द्वारा प्रस्तावना को "संविधान की जन्मकुण्डली" और "संविधान की आत्मा" कहा गया है।

Scanned with CamScanner